न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 76 / 2023 दायर दिनांक 25.07.2023

उनवान

1. कैलाशचन्द्र कोदली पिता नारायण लाल कोदली जाति हरिजन (भंगी) आयु वयस्क निवासी हाल मुकाम ओ.टी.सी. स्कीम, गांधीनगर मल्लातलाई उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।

——प्रार्थी।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. पटवारी, पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 05.12.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा तहसील कपासन में मुझ प्रार्थी के पिता खातेदारी नारायण पुत्र भूरा जाति भंगी के कब्जे काश्त की खाता संख्या 33 की खसरा संख्या 1251 रकबा 0.50 हैक्ट0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैक्टर स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी के पिता का सम्पूर्ण हक हिस्सा निहित होकर ग्राम हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी भु0अभि0निरी0 निम्बाहेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है। वजह सबूत हाल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है।

यह कि उक्त आराजीयात का साबिक जमाबन्दी आराजीयात राजस्व ग्राम कचोलिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित होकर आराजी संख्या 821 / 7 रकबा 3 बिघा में सम्पूर्ण हक हिस्सा निहित है जो राजस्व ग्राम हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा तहसील कपासन में मुझ प्रार्थी के पिता खातेदारी नारायण पुत्र भुरा जाति भंगी के कब्जे काश्त की हाल जमाबन्दी संवंत् 2074—2077 जमाबन्दी वर्ष 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी खाता संख्या 33 की खसरा संख्या 1251 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैक्टर दर्ज हुई है जो वक्त सेटलमेन्ट मुझ प्रार्थी के पिता का नाम नाराण पिता हरा हरिजन (भंगी) के स्थान पर त्रुटिवश नारायण पिता भूरा भंगी अंकित हो गया था। त्रुटिवश अंकित नारायण पिता भुरा जाति भंगी के स्थान पर नाराण पिता हरा जाति हरिजन (भंगी) अंकित करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश नाराण पुत्र हरा हरिजन (भंगी) के स्थान पर नारायण पुत्र भुरा भंगी अंकित कर दिया गया है जो गलत है। अतः मुझ प्रार्थी के पिता का नाम नाराण पुत्र हरा हरिजन (भंगी) दर्ज किया जाना आवश्यक है वजह सबुत मुझ प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वक्त सेटलमेन्ट से आज दिनांक तक की जमाबन्दी मिलान सीट एवं मुझ प्रार्थी का आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि मुझ प्रार्थी के द्वारा हाल जमाबन्दी दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त करने से जानकारी हुई जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि—

— प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश नाराण पुत्र हरा हरिजन (भंगी) के स्थान पर नारायण

पुत्र भुरा भंगी अंकित कर दिया गया है जो गलत है। अतः मुझ प्रार्थी के पिता का नाम नाराण पुत्र हरा हरिजन (भंगी) किये जाने का आदेश फरमावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक वर्णित आराजीयात दस्तावेज अनुसार सही होने से स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो वर्णित आराजीयात का साबिक जमाबन्दी आराजीयात राजस्व ग्राम कचौलिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित होकर आराजी संख्या 821/7 रकबा 3 बिघा में वादी के पिता का सम्पूर्ण हक हिस्सा निहित था तथा राजस्व ग्राम कचौलिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 में आराजी संख्या 821/7 रकबा 3 बिघा में वादी के पिता का नाम साफ अंकित नहीं होने से अपठनीय है तथा उपरांकित साबिक जमाबन्दी आराजी संख्या वर्तमान में राजस्व ग्राम हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी भु0अभि0निरी0 निम्बाहेडा तहसील कपासन में वादी के पिता खातेदारी नारायण पुत्र भूरा जाति भंगी के कब्जे काश्त की हाल जमाबन्दी संवंत् 2074–2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी खाता संख्या 33 की खसरा संख्या 1251 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैक्टर दर्ज हुई वक्त सेटलमेन्ट वादी के पिता का नाम नाराण पिता हरा हरिजन (भंगी) के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश नारायण पिता भुरा भंगी अंकित हो गया था त्रुटिवश अंकित नारायण पिता भुरा जाति भंगी के स्थान पर नाराण पिता हरा जाति हरिजन (भंगी) अंकित करवाया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन दस्तावेज अनुसार सही होने से स्वीकार है उत्तरदाता विपक्षी के विभाग के राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश हुई गलती को सुधार करवाया जाना न्यायोचित है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चार वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पॉच माननीय न्यायालय के विचारणीय है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या छः प्रार्थी का शपथ पत्र सही होने से स्वीकार है जवाब की पुष्टि में प्रतिवादी संख्या एक का शपथ पत्र पेश है।
7. यह कि प्रार्थी की प्रार्थना वर्णित तथ्य स्वीकार है राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश हुई भूल को सुधार किया जाना आवश्यक होने से स्वीकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। साबिक नामान्तरण संख्या 58 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या 821 मीन से आराजी संख्या 821/7 किस्म बिलानाम से प्रार्थी के पिता नाराण पिता हरा हरिजन (भंगी) दर्ज रेकार्ड हुई। उक्त साबिक आराजी संख्या 821/7 से नवीन आराजी संख्या 1251 रकबा 0.50 हैक्ट0 बनना संलग्न मिलान सीट से प्रमाणित है। उक्त आराजीयात में सेटलमेन्ट से पूर्व सहवन से नाराण पिता हरा के बजाय नारायण पिता भूरा दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज रेकार्ड है। अतः तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के निवेदन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन हाल जमाबन्दी संवंत् 2074–2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी खाता संख्या 33 की खसरा संख्या 1251 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैक्टर में दर्ज नारायण पिता भुरा जाति भंगी के बजाय नाराण पिता हरा जाति हरिजन (भंगी) दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें। तहसीलदार कपासन तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन